NAME CHANGE

I, Rajendra Kumar Vijay s/o Ram Kishore Vijay R/o D-16, Devi Chiranjeev Colony, Jaipur under oath declare that Rajendra Kumar Vijay and Rajendrakumar Ramkishore Vijay are both my names and I should be known by both names.

खोया पाया

मेरे फ्लैट नम्बर- 26/B1/1005 अनुपम अपार्टमेंट, सैक्टर-26, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर का ओरिजनल अलाटमेंट लेटर कहीं खो गया मिलने पर सूचित करें- 8386001116

मैं कविता गौड पत्नि ओम प्रकाश गौड निवासी ई-661 आम्रपाली सर्किल वैशाली नगर जयपुर मेरे प्लाट नं. डी-145 स्कीम सिंघल SNG सिटी, विलेज महला, तह.मौजमाबाद, दूदू, जयपुर की ओरिजनल रजिस्ट्री कहीं खो गई है। मिलने पर सूचित करें। 8005674116

भू. सं. B-202 विद्याधर नगर जयपुर का इकरारनामा 9 दिसम्बर 1998 का कही गिर गया है सूचित करे- मो. 7976282341

मेरे भूखण्ड सं- 72 योजना रामेश्वर धाम -वी जयपुर की विकास भवन गृह निर्माण सहकारी समिति लि. से जारी मूल रसीद कही गुम हो गयी है सूचित करे-रमेश चन्द गोयल मो.9460703514

नोटिस हरखास आम

श्री देवेन्द्र दीक्षित, जिला न्यायाधीश, सवाई माधोपुर

हाजरा बानो पत्नि स्व.हबीब खान उम्र 65 साल निवासी ग्राम गोपालपुरा की ढाणी, रेलवे कॉलोनी तहसील व जिला सवाई माधोपुर

बनाम प्रार्थीया/आवेदक

1. हरखास आम, 2. इफरोज, उम्र 27 वर्ष पुत्र हबीब खान, समस्त निवासीयान ग्राम गोपालपुरा की ढाणी, रेलवे कॉलोनी, सवाई माधोपुर तहसील व जिला सवाई माधोपुर, 3. रजियाना उम्र 40 वर्ष पुत्री हबीब खान, समस्त निवासीयान ग्राम गोपालपुरा की ढाणी, रेलवे कॉलोनी, सवाई माधोपुर तहसील व जिला सवाई माधोपुर, 4. कल्लो, उम्र 35 वर्ष पुत्री हबीब खान, समस्त निवासीयान ग्राम गोपालपुरा की ढाणी, रेलवे कॉलोनी, सवाई माधोपुर तहसील व जिला सवाई माधोपुर, 5. मफ्फो, उम्र 32 वर्ष पुत्री हबीब खान, समस्त निवासीयान ग्राम गोपालपुरा की ढाणी, रेलवे कॉलोनी, सवाई माधोपुर तहसील व जिला सवाई माधोपुर, 6. जास्मीन, उम्र 30 वर्ष पुत्री हबीब खान, समस्त निवासीयान ग्राम गोपालपुरा की ढाणी, रेलवे कॉलोनी, सवाई माधोपुर तहसील व जिला सवाई माधोपुर, 7. जुमरत बानो, उम्र 64 वर्ष पत्नि हबीब खान, समस्त निवासीयान ग्राम गोपालपुरा की ढाणी, रेलवे कॉलोनी, सवाई माधोपुर तहसील व जिला सवाई माधोपुर, 8.शाखा प्रबन्धक यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया मण्डी रोड, आलनपुर सवाई माधोपुर तहसील व जिला सवाई माधोपुर

अप्रार्थीगण...

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम विविध दीवानी प्रकरण (38) संख्या-11/2026

तारीख पेशी-27.04.2026

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त प्रार्थीया/आवेदक के प्रति **हबीब खान पुत्र फरियाद खान निवासी गोपालपुरा ढाणी रेलवे कॉलोनी सवाई माधोपुर (राजस्थान)** की मृत्यु दिनांक 18.12.2025 को हो गई है। मृतक **हबीब खान** के अप्रार्थी संख्या-(8) यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया मण्डी रोड, आलनपुर सवाई माधोपुर के खाता संख्या 520101205921716 में 3,22,000/- रूपये जमा है। उक्त जमा राशि को प्राप्त करने के लिए प्रार्थीया ने अपने पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी करने बाबत न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया है।

लिहाजा जिस किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति असालतन वकालतन इस न्यायालय में निश्चित दिनांक 27.04.2026 को 8.00 ए.एम. बजे उपस्थित होकर पेश कर दे वरना समय गुजरने के बाद कोई आपत्ति ग्रहण नहीं की जावेगी तथा प्रार्थना पत्र एक तरफा सुनकर निर्णित कर दिया जावेगा।

मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज दिनांक 27/3/26 को जारी किया गया।

मोहर अदालत

आज्ञा से-वरिष्ठ मुंसरिम
जिला एवं सैशन न्यायालय
सवाई माधोपुर

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)

कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर

राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस

समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-I/TRUST/2026/1771

चूंकि प्रार्थी श्री OMENDRA SINGH RATNU, PLOT NO A-106, P.N. 6/H/3, STAR PRATISHTHA, VIDHYADHAR NAGAR JAIPUR, 302039 ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत प्रन्यास निमित्तेकम 1/412, VIDHYADHAR NAGAR JAIPUR 302039, RAJASTHAN के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।

अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।

और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच प्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।

आज दिनांक 10.03.2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।

आइदा तारीख पेशी 20.05.2026

मोहर अदालत

सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)

कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, अजमेर संभाग, अजमेर

राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस

समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को

कार्यालय : राजस्थान लोक सेवा आयोग के सामने, कांकरदा भूणाभाय, जयपुर रोड, अजमेर

मुकदमा नम्बर : 4870/2026

(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)

चूंकि श्री हेमंत यादव कोषाध्यक्ष ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम, 1959 की धारा 17 के अन्तर्गत पार्श्व एजुकेशन एण्ड पब्लिक वेलफेयर समिति टोंक के पंजीयन हेतु प्रन्यास के संबंध में जाँच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है।

अतः एवं धारा 18 की उप धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास, जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से 60 दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियाँ, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।

और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियाँ प्रस्तुत नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित नीति से निर्णित किया जावेगा तथा जाँच प्रपत्र मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।

आज दिनांक 30.03.2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय की मोहर के अधीन जारी किया गया।

आगामी तारीख पेशीः 12.06.2026

मोहर अदालत

(गिरीश कुमार बचानी)
सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग, अजमेर

नम्बर मिलाइए
9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

अधूरी सड़क और पानी की किल्लत को लेकर फूटा जनता का आक्रोश

पानी की किल्लत से परेशान होकर महिलाओं और पुरुषों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया।

मनोहरपुर। कस्बे के अमन कॉलोनी में सोमवार को नगर पालिका के द्वारा डाली गई अधूरी सड़क और पानी सप्लाई सही नहीं होने से पानी नहीं आने को लेकर जलदाय विभाग के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान सड़क निर्माण कार्य को बीच में ही छोड़ने और पिछले कई महीनों से जारी पानी की किल्लत से परेशान होकर महिलाओं और पुरुषों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया।

इस दौरान अधूरी सड़क का नगर पालिका द्वारा मुनीर कुरैशी के मकान से इरशाद खान के मकान तक सड़क बनाई जानी थी, लेकिन काम को अधूरा छोड़ दिया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि पंचायत के समय से लेकर नगर पालिका बनने तक, आज तक इस रास्ते पर सड़क या ब्लॉक सड़क नहीं बनी है।इस दौरान नानूवाला अमन कॉलोनी में पिछले कई महीनों से पानी की सप्लाई ठप पड़ी है। लोगों ने बताया कि इस संबंध में जलदाय विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को बार-बार सूचित किया गया, लेकिन समाधान के नाम पर केवल आश्वासन मिला।

कुंवर दिगराज सिंह ने मोर्चा संभाला और विरोध प्रदर्शन की सूचना मिलते ही कुंवर दिगराज सिंह मौके पर पहुंचे। उन्होंने लोगों को शांत करवाया और उनकी शिकायतों को विस्तार से सुना।

वही शाहपुरा और मनोहरपुर के सियासी और सामाजिक गलियारों में आज एक बार फिर इतिहास खुद को दोहराता नजर आ रहा है। एक बार फिर जनता को देखने को मिला कि जिस तरह पूर्व में रावधीर सिंह लोगों के बीच जाकर, उनके दुख-दर्द साझा कर समस्याओं का मौके पर ही निवारण किया करते थे। जिससे जनता ने उनको मंत्री बनाया था आज वही सेवाभावी रूप कुंवर दिगराज सिंह में दिखाई दे रहा है। विरासत वाली वही सादगी और वही प्यार शाहपुरा की जनता के बीच कुंवर दिगराज सिंह का बढ़ता ग्राफ इस बात का प्रमाण है कि लोगों को उनमें अपना पुराना रक्षक नजर आता है। आज भी जनता का वही अटूट प्यार और भरोसा कुंवर दिगराज सिंह के लिए उमड़ रहा है, जो कभी राव धीर सिंह के लिए हुआ करता था। इस दौरान कुंवर दिगराज सिंह ने कहा जनता की मूलभूत सुविधाओं से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सड़क और पानी का मुद्दा सीधे तौर पर आम आदमी के जीवन से जुड़ा है। हम संबंधित अधिकारियों से वार्ता कर जल्द से जल्द समाधान सुनिश्चितकरेंगे। कुंवर दिगराज सिंह

- **ग्रामीणों का आरोप है कि पंचायत के समय से लेकर नगर पालिका बनने तक, आज तक इस रास्ते पर सड़क या ब्लॉक सड़क नहीं बनी है**

आगे की स्थिति मौके पर हुई वार्ता के बाद लोगों ने इस उम्मीद में प्रदर्शन समाप्त किया कि कुंवर दिगराज सिंह के हस्तक्षेप के बाद प्रशासन नींद से जागेगा। स्थानीय निवासियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही सड़क का निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ और पानी की सप्लाई बहाल नहीं की गई, तो वे बड़े स्तर पर आंदोलन करने को मजबूर होंगे। जलदाय विभाग के कनिष्ठ अभियंता जयराम सैनी ने कहा कि अमन कॉलोनी में 10 अप्रैल तक करीब 50 मीटर पानी की पाइपलाइन डाली जाएगी। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी हरिनारायण यादव का कहना है कि इस रोड के बारे में मुझे ज्ञात नहीं है इसके बारे में जानकारी लेकर ही बता सकता हूं।

प्रशिक्षण वर्ग में कार्यकर्ताओं को मिला संगठन मजबूती का मंत्र

पावटा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाभियान 2026 के तहत पावटा मंडल का दो दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग सोमवार को राजमार्ग स्थित महरोज मोड़ पर पंसारी रिसोर्ट में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने भाग लेकर संगठन को मजबूत करने के गुर सीखे। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलन व वर्ग गीत के साथ हुआ। 0प्रथम सत्र की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष विरेन्द्र राठी ने की, जिसमें वक्ता गुड्डू सैनी ने भाजपा के इतिहास और विकास पर प्रकाश डाला। द्वितीय सत्र में मंडल महामंत्री की अध्यक्षता में शाहपुरा प्रत्याशी उपेन यादव ने बूथ प्रबंधन और मन की बात कार्यक्रम के महत्व को समझाया।

आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्य अब्दुल लतीफ पुत्र श्री मोहम्मद इब्राहिम निवासी मकान नं. 1090 सांभर हाउस, गुलजार मस्जिद घाटगेट जयपुर का छोटा पुत्र अब्दुल वहिद है जो मेरे अभिभाष्य के कहने में नही होने तथा उन्हे प्रताड़ित करने तथा सही चाल चलन नही होने तथा किसी प्रकार का कोई खर्चा नही देने के कारण मेरे अभिभाष्य ने अपने पुत्र अब्दुल वहिद को सन्-2022 माह फरवरी में अपनी सम्पूर्ण चल अचल सम्पति व जायदाद घर बार से बेदखल किया हुआ है। मेरे अभिभाष्य के पुत्र अब्दुल वहिद से मेरे अभिभाष्य का कोई संबंध व सरोकार नही है ना ही उसके द्वारा किये गये किसी कार्य के लिए मेरा अभिभाष्य जिम्मेदार है ना ही भविष्य में जिम्मेदार होगा।
जयपुर आरिफ मोहम्मद, एडवोकेट
दिनांक 30/3/2026 मो. नं. 7742611602

आम सूचना सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्यगण श्री बजरंग लाल अग्रवाल एवं श्रीमती कान्ता देवी अग्रवाल, निवासी अजीतगढ़, सीकर के पुत्र अमित कुमार अग्रवाल व उसकी पत्नि हंसा कुमारी अग्रवाल मेरे अभिभाष्यगण के साथ पिछले लम्बे समय से दुर्व्यवहार कर रहे है। अमित कुमार अग्रवाल अपनी पत्नि हंसा कुमारी एवं अपनी दोनो पुत्रियों के साथ मेरे अभिभाष्यगण से पृथक निवास कर रहे है। अमित कुमार अग्रवाल व हंसा कुमारी का व्यवहार मेरे अभिभाष्यगण के प्रति अशोभनीय एवं दुष्टतापूर्ण है, इसलिए मेरे अभिभाष्यगण अपने पुत्र अमित कुमार अग्रवाल व पुत्रवधु हंसा कुमारी को अपनी समस्त चल-अचल सम्पत्तियों से बेदखल करते है तथा जो कोई व्यक्ति/संस्था इनसे किसी प्रकार का लेन-देन, सव्यवहार करता है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी उसकी स्वयं की होगी।
शकुन्तलम् एसोसिएट्स
(सुमित शर्मा) एडवोकेट, मो.: 9414242943

आम सूचना सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे मुवक्किल श्री मोहम्मद सलीम पुत्र श्री मोहम्मद सद्दीक निवासी-मकान नम्बर 3252, मौहल्ला महावतान, कांच की सबील, घाटगेट, जयपुर, राजस्थान का पुत्र मोहम्मद हनीफ व उसकी पत्नी नगमा बेगम मेरे मुवक्किल के कहे में नही है और मेरे मुवक्किल व परिवार के अन्य सदस्यों के साथ उनका पुत्र व बहु छोटी-छोटी बातों को लेकर गाली गलोच व झगड़ा करते है तथा जिस कारण मेरे मुवक्किल ने अपने पुत्र व पुत्रवधु को अपनी समस्त चल-अचल सम्पत्ति से एवं अपने परिवार से बेदखल कर दिया है और मेरे मुवक्किल के पुत्र व बहु से सभी संबंध समाप्त कर दिये है, जो कोई व्यक्ति मेरे मुवक्किल के पुत्र मोहम्मद हनीफ खान व बहु से किसी भी तरह का सनव्यवहार करेगा उसका वह स्वयं जिम्मेदार होगा कृपया सूचित रहे।
(इमरान अहमद) एडवोकेट मो.न.7877107041

सार्वजनिक सूचना
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हमारे परिवार के पूर्व सदस्य प्रवीणा दाधीच धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री लोकेश दाधीच, योग्यांशी दाधीच पुत्री स्वर्गीय श्री लोकेश दाधीच, सूर्यांश दाधीच पुत्र स्वर्गीय श्री लोकेश दाधीच पूर्व निवासीयान 1543 पंचवीरों का मोहल्ला, जाट के कुएं का रास्ता, चांदपोल बाजार, जयपुर ने बिना किसी कारण के स्वेच्छा से मेरे ज्येष्ठ पुत्र अर्थात लोकेश दाधीच के स्वर्गवास के पश्चात् हमारे परिवार को त्याग कर दिया है एवं वर्तमान में उक्त प्रवीणा, योग्यांशी व सूर्यांश का हमारे परिवार से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है व ना ही उनका हमारे परिवार से कोई वास्ता है। अतः यह घोषित किया जाता है कि उक्त व्यक्ति द्वारा हमारे परिवार के नाम, प्रतिष्ठा या अधिकार का उपयोग करते हुए यदि कोई भी कार्य, लेन-देन, अनुबंध या अन्य गतिविधि की जाती है, तो उसे हमारे परिवार द्वारा न तो मान्यता दी जाएगी और न ही स्वीकार किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति उक्त व्यक्ति के साथ हमारे परिवार के नाम पर कोई भी व्यवहार करता है, तो वह पूर्णतः अपने स्वयं के जोखिम एवं उत्तरदायित्व पर करेगा, जिसके लिए हमारा परिवार किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा।
सूचितकर्ता- विष्णु दत्त पुत्र स्वर्गीय श्री मोहनलाल, निवासी- 1543, पंचवीरों का मोहल्ला, जाट के कुएं का रास्ता, चांदपोल बाजार, जयपुर। मो.: 9351118202

कार्यालय नगर पालिका मण्डल कालाडेरा (जयपुर)

कमांक-न.पा.का./2025-26/817 **आपत्ति सूचना** दिनांक-30/03/26

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर पालिका में निम्नानुसार आवेदक ने अपने स्वामित्व दस्तावेजों के साथ नामान्तरण हेतु आवेदन किया है।

क्र. सं.	पूर्व में सम्पति किसके नाम दर्ज है	वर्तमान में सम्पति किसके नाम दर्ज की जानी है	क्षेत्रफल वर्गमीटर	योजना का नाम	वि. विवरण
1	श्री कन्हैया लाल कुमावत पुत्र श्री दुलाराम	श्री श्रीराम पुत्र श्री शिवप्रकाश देववृत	216	बेरावाली ढाणी, कालाडेरा	पंजीकृत हकत्याग

अतः उपर्युक्त आवेदकों के पक्ष में नामान्तरण जारी करने बाबत किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति लिखित में मय दस्तावेज इस सूचना के जारी होने से 7 दिवस में इस कार्यालय में प्रस्तुत कर दे। बाद मियाद प्रस्तुत आपत्ति पर कोई विचार नही किया जायेगा। सूचना में अंकित अवधि पश्चात पत्रावलियों के निस्तारण की कार्यवाही की जावेगी। दस्तावेज / साक्ष्य के प्रस्तुतीकरण के अभाव में नियमन नही होने के लिये आवेदनकर्ता स्वयं जिम्मेदार होंगे।

(सूर्यकान्त शर्मा) अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका कालाड़ेरा

कलक्टर ने ली सड़क सुरक्षा समिति की बैठक

अलवर। जिला कलक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला ने आज कलक्ट्रेट सभागार में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक लेकर संबंधित विभागीय अधिकारियों को आपसी समन्वय से जिले की सड़कों को और अधिक सुरक्षित बनाने की दिशा में आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। जिला कलक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला ने वर्षवार सड़क दुर्घटनाओं की विस्तृत समीक्षा कर निर्देशित किया कि सड़क दुर्घटनाओं की प्रभावी रोकथाम एवं सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए संबंधित विभाग समन्वित प्रयास कर आवश्यक सुरक्षात्मक कदम उठावें। उन्होंने निर्देशित किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर दुर्घटना संभावित बिंदुओं पर एएनपीआर कैमरे स्थापित करावें तथा दुर्घटनाओं को रोकथाम के लिए प्रभावी प्रवर्तन कार्रवाई की जावें। उन्होंने सीएमएचओ को निर्देश दिये कि पीएम राहत योजना में सरकारी एवं निजी अस्पतालों के माध्यम से दुर्घटना में पीड़ित व्यक्ति को 1.50 लाख रुपए के कैशलेस उपचार उपलब्ध कराए तथा जिले में योजना का व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार भी कराया जावे।

कलक्टर ने संपर्क हैल्पलाईन 181 के परिवादियों से सीधा संवाद किया

- **संपर्क पोर्टल पर प्रभावी मॉनिटरिंग कर शिकायतों के त्वरित निस्तारण के दिये निर्देश**
- **परिवाद निस्तारण में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्यवाही**

कोटपूतली। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सुशासन के संकल्प के अनुरूप जिला प्रशासन आमजन की समस्याओं के त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण के लिये प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। इसी क्रम में जिला कलक्टर प्रियंका गोस्वामी ने सोमवार को राजस्थान संपर्क हैल्पलाईन (181) के माध्यम से आमजन की शिकायतों की समीक्षा करते हुये स्वयं परिवादियों से संपर्क स्थापित कर उनकी समस्यायें सुनी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिये कि प्रत्येक शिकायत का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जायें। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य, एनएफएसए एवं विद्युत जैसे विषय अत्यंत संवेदनशील हैं, अतः संपर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों की नियमित मॉनिटरिंग करते हुये आमजन को त्वरित राहत प्रदान की जायें। उन्होंने परिवादियों को फोन कर उनकी समस्यायें सुनी और उनसे सीधे संवाद कर फीडबैक लिया। कई मामलों में उन्होंने मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दिये। उन्होंने कोटपूतली निवासी प्रमोद सैनी से संवाद कर ट्रांसफार्मर को पानी बहाव क्षेत्र से अन्यत्र शिफ्ट करने के प्रकरण पर संज्ञान लेते हुये जेवीवीएनएल अधिकारी को यथाशीघ्र कार्यवाही कर मय फोटो रिपोर्ट प्रस्तुत करने एवं परिवाद का निस्तारण करने के निर्देश दिये। इसी क्रम में जिला कलक्टर ने नीमराणा के डाबड़वास निवासी दीपक से सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज ग्राम की पीएचसी में जांच मशीन और दवाओं की अनुपलब्धता की शिकायत के संबंध में संवाद कर सीएमएचओ को पीएचसी विजिट कर तुरंत कार्यवाही करने के निर्देश दिये। साथ ही बीसीएमओ के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही करने को कहा। जिला कलक्टर ने एनएफएसए से नाम हट जाने के प्रकरण के संबंध में बानसूर के मोठुका निवासी लहरीराम से संवाद कर 2016 में एनएफएसए के नियमानुसार अपात्रता के चलते नाम हटाये जाने एवं परिवाद डिस्पोज करने की कार्यवाही को जायज बताया। साथ ही एनएफएसए के तहत आर्थिक पात्रता के आधार पर पुनः एनएफएसए में नाम जुड़वाने की प्रोसेस की जानकारी विस्तार से देते हुये आवेदन करने का सुझाव दिया। जिला कलक्टर ने स्पष्ट कहा कि राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप आमजन की शिकायतों के त्वरित निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। संबंधित अधिकारी शिकायतों को अनावश्यक रूप से लंबित ना रखें। फील्ड विजिट कर तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करें तथा परिवादियों से संपर्क कर संतुष्टि सुनिश्चित करें। नियमानुसार निस्तारण संभव ना होने की स्थिति में परिवादी को पूर्ण जानकारी प्रदान कर समझाईश करें।

वकील से अभद्रता पर भड़के अधिवक्ता

दौसा । जिला अभिभाषक संघ ने सोमवार को एक पुलिसकर्मी द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ किये गये दुर्व्यवहार एवं धमकी देने के विरोध में न्यायिक कार्य का बहिष्कार किया तथा न्यायालय परिसर में जमकर हंगामा किया। इधर अभिभाषक संघ ने बैठक आयोजित की गई जिसमें दोषी पुलिसकर्मी को निलम्बित नही किये जाने पर अनिश्चितकालीन न्यायिक कार्य का बहिष्कार का निर्णय लिया। वही दूसरी ओर पुलिस प्रशासन की कार्यशैली से खफा पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देने गये अधिवक्ता बैरंग लौट आये। जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कुंज बिहारी शर्मा ने बताया कि घटना 30 मार्च की है। वरिष्ठ अधिवक्ता रिद्धि चन्द शर्मा अपने मुवक्किल सुनील कुमार शर्मा की गिरफ्तारी की जानकारी लेने कोतवाली थाने पहुंचे थे। आरोप है कि वहां मौजूद एएसआई बाबूलाल चौधरी ने उन्हें जानकारी देने के बजाय उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया।एएसआई ने अधिवक्ता को जबरन हवालात में डालने और राजकार्य में बाधा का झूठा मुकदमा दर्ज करने की धमकी दी।

OFFICE OF THE REGISTRAR, MAHARAJA SURAJMAL BRIJ UNIVERSITY, CHAK SAKEETRA KUMHER BHARATPUR ONLINE INVITING TENDER NOTICE

NIB No Exam/2025-26/282 Date: 28.03.2026

TENDER NOTICE NO 35

Maharaja Surajmal Brij University, Bharatpur hereby invites E-bid for Answer Books Supply work separately for the Year 2026. The bid may be downloaded from 27.03.2026 (5:00PM) and last date of submission of the bid is 02.04.2026 (1:00PM). Details of the same may be seen on http://sppp.rajasthan.gov.in or http://eproc.rajasthan.gov.in or University website http://msbrijuniversity.ac.in/notice board.

NIB No.: BUB2526A0022
UBH NO-BUB2526GLOB00059

Registrar

कार्यालय नगर निगम जयपुर
(जलेबी चौंक, बडी चौपड़)

क्रमांक :– जसअ / 2025 / 567 दिनांकः 23.03.2026

-: : ई-निविदा सूचना संख्या अधि.अभि.विद्युत पार्ट-II 61-62/2025-26 : :-

केन्द्र एवं राज्य सरकार के सभी विभागों मे पंजीकृत उपयुक्त श्रेणी के ठेकेदारों एवं नगर निगम जयपुर के पंजीकृत संवेदकों से नगर निगम जयपुर पार्ट-II से संबंधित ई-निविदा प्रकाशित की जाती है। कार्य की अनुमानित लागत, टेण्डर बेचने तथा प्राप्त करने की तिथि, टेण्डर शर्तें आदि सम्पूर्ण विवरण नगर निगम जयपुर की वेब साईट www.jaipurmc.org, http://eproc.rajasthan.gov.in & http://sppp.rajathan.gov.in पर निम्न UBN No. JMC 2526WSOB02978 to JMC 2526WSOB02979 पर देखा जा सकता हैं।

इच्छुक संवेदकों को ई-निविदा में भाग लेने हेतु वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in पर रजिस्टर्ड करवाना आवश्यक हैं।

अधिशाषी अभियन्ता (विद्युत)
नगर निगम जयपुर, पार्ट-II

राज.संवाद / सी / 25 / 23578

डॉ.भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती को लेकर बनी रूपरेखा

पावटा। अंबेडकर मंच समिति शाखा टोरडा गुजरान द्वारा एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन मानसिंह धानका की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें भारत रत्न डॉ. भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती को भव्य रूप से मनाने को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। लोगों ने जयंती समारोह को ऐतिहासिक बनाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की। इस दौरान शोभायात्रा, विचार गोष्ठी, सामाजिक जागरूकता कार्यक्रम एवं प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित करने पर सहमति बनी।

- **भव्य आयोजन की तैयारियों पर चर्चा, सामाजिक समरसता का दिया संदेश**

अंबेडकर मंच शाखा टोरडा गुजरान की बैठक आयोजित हुई।

इस दौरान हीरालाल गुर्जर, बनवारीलाल गुर्जर, अमर सिंह धानका, बाबूलाल आर्य ठेकेदार, गिरिराज आर्य, उपाध्यक्ष रोशन लाल आर्य, मैनेजर बाबूलाल आर्य, प्रहलाद गुर्जर, रामकुआर आर्य, वकील अशोक कुमार गुर्जर, मास्टर बहादुर आर्य महासचिव जयमल धानका, खैराती लाल गुर्जर, दाताराम आर्य, रामवतार धानका, हरिराम आर्य, तेजाराम हवलदार, मूलचंद हवलदार, सूबेदार श्रीराम गुर्जर, मास्टर कृष्ण आर्य, सुगनचंद आर्य, रोशनलाल धानका, बिडदू राम आर्य, तेजपाल आर्य सहित ग्रामीण मौजूद रहे।

छात्रों ने लोकसभा भ्रमण किया

भरतपुर । महारानी जया राजकीय महाविध्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग के तत्वाधान में राजनीति विज्ञान विभाग के पीजी और यूजी के विधयार्थियों एवं फैकल्टी मेम्बर ने लोकसभा की कार्यवाही का जीवंत प्रसारण देखा। धौलपुर-करौली सांसद भजनलाल जाटव एवं भरतपुर सांसद संजना जाटव भ्रमण के दौरान ग्रुप के साथ रहे। भजन लाल जाटव ने इस दौरान पार्लियामनेटरी गॅलरी की उपयोगिता एवं एतिहासिक परिप्रेक्ष्य को समझाया, संजना जाटव ने पुराने संसद भवन का भ्रमण करवाया। इस दौरान लोकसभा सांसद बृजेन्द्र सिंह ओला, भूपेन्द्र हुड्डा राज्यसभा सांसद मुकुल वासनिक से ग्रुप के सदस्यों ने वार्ता की एवं बच्चों को प्रेरित किया की वे राजनीति में आयें और जनसेवा से जुड़ें। इस दौरान बच्चों ने लोकसभा सभागार में बैठकर ज़ीरो हावर की कार्यवाही को देखा, इस दौरान विभिन्न सांसदों ने अपने अपने क्षेत्रों की समस्याओं को उठाया।

राजस्थान राजपत्र
विशेषांक
साधिकार प्रकाशित
RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary
Published by Authority
भाग-1(ख)
महत्त्वपूर्ण सरकारी आज्ञाएँ
जल संसाधन विभाग
विज्ञप्ति
जयपुर, मार्च 19, 2026
Published By Authority

चैत्र 06, शुक्रवार, शाके 1948– मार्च 27, 2026
Chaitra 06, Friday, Saka 1948- March 27, 2026

<u>संख्या:22 / भू.अ. / ज.स. / 2023 / 368–372</u> :– चूंकि राज्य सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रामगढ एंव महलपुर बैराज और नवनेरा–गलवा–बीसलपुर–ईसरदा लिंक परियोजना के अन्तर्गत गलवा पम्प हाउस एंव गलवा बांध से बीसलपुर बांध तक फीडर निर्माण में आने वाली संभी सरचनाओं में प्रभावित भूमि को अवाप्त किया जाना आवश्यक है। यह घोषणा की जाती है कि संलग्न सूची में वर्णित भूमि की उक्त प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

यह घोषणा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा–19 के प्रावधानुसार उन सब हितकारियों के निमित्त जिनका इससे सम्बन्ध हो, जारी की जाती है तथा भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) नैनवां, अतिरिक्त कलेक्टर (पुनर्वास) एंव भूमि अवाप्ति अधिकारी, बीसलपुर परियोजना देवली, टोंक को कथित भूमि की अवाप्ति के निमित्त कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया जाता है।

भूमि के नक्शे का निरीक्षण भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) नैनवा, अतिरिक्त कलेक्टर (पुनर्वास) एंव भूमि अवाप्ति अधिकारी, बीसलपुर परियोजना देवली, टोंक तथा महाप्रबन्धक, आर.डब्ल्यू.,जी.सी.एल., पी.आई.यू. टोंक प्रथम के कार्यालय में किया जा सकता है।

विवरण

<u>नवनेरा–गलवा–बीसलपुर–ईसरदा लिंक परियोजना के अन्तर्गत गलवा से बीसलपुर बांध तक फीडर (RD 0 KM to 9.6 KM & RD 40.6 KM to 70.8 KM) निर्माण में अवाप्त योग्य भूमि के धारा 19 के प्रस्ताव</u>

विस्तृत जानकारी हेतु **QR Code** (क्यू आर कोड) स्कैन करें।

(महेश कुमार राठी)
उप सचिव एवं अधी. अभि. (लैण्ड बैंक)
कार्यालय मुख्य अभियन्ता, जल

राज.संवाद / सी / 25 / 23547

किशनगढ़ बास में 52 वां खाटू श्याम मेला सम्पन्न

मेले में श्याम जागरण के दौरान उपस्थित भक्तगण।

किशनगढ़ बास । बांस कृपाल नगर स्थित श्री श्याम प्रभु (खाटू वाले) का 52वां दो दिवसीय मेला श्रद्धा और भक्ति के साथ सम्पन्न हुआ। मेले के दौरान शोभायात्रा, जागरण एवं भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया।

रात्रि जागरण में राजगढ़ के सुरजीत सिंह, ब्रजधाम के विष्णु बृजवासी, भरतपुर के तनु फौजदार, धर्मवीर बृजवासी, विक्की वशिष्ठ एवं सुनील जागिड़ ने श्याम भजनों की मनमोहक प्रस्तुतियां दीं। कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना से हुई, जिसके बाद हनुमान जी, महादेव और खाटू श्याम के भजनों से वातावरण भक्तिमय हो गया।

रोचक व भावपूर्ण अंदाज में प्रस्तुत भजनों पर महिला-पुरुष श्रद्धालु देर रात तक झूमते रहे। दुनिया का तू लखदातार सांवरे, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, तू है मेरा एक सांवरा और कर दे मेरा बेड़ा पार सांवरे जैसे भजनों ने भक्तों को भावविभोर कर दिया। कार्यक्रम के दौरान मंदिर कमेटी द्वारा मेले के सहयोगियों, श्याम भक्तों एवं अतिथियों को तस्वीर भेंट कर सम्मानित किया गया। मेले के सफल आयोजन में श्याम बाबा विकास समिति अध्यक्ष गोरधन दास जांगिड़, श्याम नवयुवक मंडल अध्यक्ष धर्मवीर शर्मा, दीनदयाल गुप्ता, रामचंद्र यादव, जयप्रकाश पटेल, आदि मौजूद रहे।

- **खैरथल तिजारा जिले सहित विभिन्न जिलों के श्याम मंदिर समिति व मेले सहयोग देने वाले भक्तों का मंदिर समिति ने किया सम्मान**